




e-Stamp

Certificate No. : IN-UP02621711296354V ₹100  
 Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 12:52 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14431304/ JAUNPUR SADAR/ UP-JNP  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1443130400857905385725V  
 Purchased by : RAJESH NAGAR SO RAM CHARITTAR NISHAD  
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : RAJESH NAGAR SO RAM CHARITTAR NISHAD  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : RAJESH NAGAR SO RAM CHARITTAR NISHAD  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)



Signature *WKS*  
 ACC Name-Vivek Kumar Singh ACC Code-UP14431304  
 ACC Address-First Flor Opp. Collectorate Gate  
 Line Bazar Road, Jaunpur  
 Mobile No.- 9838960000 Licenses No. 531  
 Tehsil & District- Sadar, Jaunpur

Please write or type below this line

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम जर्नादन प्रसाद (अध्यक्ष) एवं राजेश नागर (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मां सुभागी जन सेवा संस्था ग्राम-खानापट्टी, पो-सिकरारा, जौनपुर शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा डा0 राम चरित्तर निषाद कालेज ऑफ फार्मसी चौरा सन्तदास सिकरारा, जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है ।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम चौरा सन्तदास सिकरारा, जौनपुर में गाटा संख्या 91 एवं 92 रकबा क्रमशः 0.9150 एवं 0.1600 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8490 हेक्टेयर) भूमि है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 91 एवं 92 रकबा क्रमशः 0.9150 एवं 1600 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8490 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की

Mandatory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shrestha.com' or 'www.shrestha.com' Mobile App of Stock Holding
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App should be reported immediately.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

*g/ Rajesh Nagar*  
*Vijayendra*  
 AD-1123

डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.07.2019 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि मेरी निजी जानकारी अथवा अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँगा।

ह० सचिव/प्रबन्धक

Rajesh

ह० अध्यक्ष

पनाई पुरा 5

1-9-23

GOVT. OF NCT OF DELHI